न्यायालयः– सिविल न्यायाधीश, जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी : कालूराम, आर0 जे0 एस0
दीवानी मूल वाद संख्या : 02/2018

बस्तीराम पुत्र रामदेव, जाति जाट, निवासी मांगलोद, तहसील जायल, जिला नागौर।

.........वादी

बनाम

1. प्रेमा पुत्री रामकरण,
2. रामनिवास पुत्र रामकरण,
3. रामजीवणी पत्नी रामदेव,
4. भूराराम पुत्र रामदेव,
5. मंगेज पुत्री रामदेव,
6. जगदीश पुत्र जयराम,
7. सोहनलाल पुत्र जयराम,
8. ईमा पुत्री जयराम,
9. धापू पुत्री जयराम,
10. सीतू पुत्री जयराम,
11. चुका पुत्री जयराम,
12. छोटू पुत्री जयराम,

सभी जातियान जाट, निवासीगण मांगलोद, तहसील जायल, जिला नागौर।

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता बाबत् घोषणा हक स्वामित्व बंटवारा पट्टा संख्या 4 दिनांक 06.12.1958 व स्थाई व्यादेश

उपस्थितः–

01. श्री ओमप्रकाश गोदारा – अधिवक्ता वादी।

02. प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

दिनांकः– 29 अगस्त, 2018

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की ओर से एक वादपत्र इस आशय का विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया गया कि वादी के पिता व प्रतिवादी संख्या 1 व 2, व 6 से 12 के पिता सगे भाई रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 3 से 5 वादी की माता, भाई व बहन है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 12 का पट्टा सुदा स्वामित्व का रहवासी आबादी की भूमि ग्राम मांगलोद में पट्टानुसार 611.11/1 वर्गगज भूखण्ड है। जिस मौके पर कब्जा उपयोग वादी का रहा है। इस भूखण्ड का बंटवारा

करके वादी के पिता ने दिनांक 05.06.1995 को लिखित बंटवाड़ा कर वादी के स्वामित्व व बंट में रखा है जो आज दिन भी वादी के उपयोग उपभोग रहा है। जिसमें वादी अपने परिवार सहित निवास करता आ रहा है जिसमें अन्य कोई व्यक्ति का दखल हस्तक्षेप नहीं रहा है। वादी के वादग्रस्त कब्जा उपयोग बंटासुदा स्वामित्व का भूखण्ड में प्रतिवादीगण के पिता व दादा का पट्टा संख्या 4 मिसल संख्या 4 दिनांक 06.12.1958 के दस्तावेज शामिल नाम होने व बंट में वादी को उक्त भूखण्ड दे दिया होने से वादी अपने स्वामित्व की घोषणा के लिए यह वाद पेश किया जा रहा है। वादी द्वारा आवासीय उपयोग व उपभोग में लेने से प्रथमदृष्टया मामला वादी के पक्ष में एवं सुविधा का सन्तुलन भी कब्जा होने से व पट्टाधारी होने से वादी के पक्ष में है यदि वादी को कब्जा से बेदखल कर दिया तो अपूर्णीय क्षति होगी। भूखण्ड संख्या 4 के इन्द्राज में वादी रेकर्ड में नाम होने से बंट में दिया होने से वादी को ही अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादीगण को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है इसलिए वादी ही एकमात्र वादग्रस्त भूखण्ड का स्वामी है। बिनाय वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण कें मुतदाविया भूखण्ड का उपयोग उपभोग वादी अकेले द्वारा दिनांक 05.06.1995 से वादी के पिता द्वारा बंटवाड़ा में दे दिया जाने से कब्जा उपयोग उपभोग कर पक्का निर्माण होने से प्रतिवादीगण का बंट नहीं होने से यह घोषणा हक स्वामित्व व स्थायी व्यादेश से रोका जाने हेतु वाद कारण पैदा हुआ। पक्षकारान् के मध्य कोई दुरंभि संधि नहीं है। वादग्रस्त भूखण्ड मांगलोद में स्थित होने से न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। वाद सौ रुपये के कोर्ट स्टाम्प पर प्रस्तुत है। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के निम्न आशय से फरमाई जावे है :–

(क) कि वादी के कब्जा स्वामित्व का भूखण्ड मिसल संख्या 4 पट्टा संख्या 4 दिनांक 06.12.1958 ग्राम मांगलोद की आबादी भूमि रहवासी प्रयोजनार्थ उपयोग की वादी एक मात्र अकेले के स्वामित्व की घ ोषणा की जावे। वादग्रस्त भूखण्ड में प्रतिवादीगण द्वारा दखल व हस्तक्षेप करने से रोका जावे।

(ख) कि अन्य अनुतोष जो भी लाभार्थ हो वो अता वादी को फरमाया जावे।

2. प्रतिवादीगण के बावजूद सम्मन तामील के उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध दिनांक 05.02.2018 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने से प्रकरण में कोई विवाद्यक विरचित नहीं किये गये।

4. वादी की ओर से वादपत्र के समर्थन में स्वयं को पी ड 1 के रूप में प्रदर्शित करवाया। दस्तावेजी साक्ष्य में असल पट्टा संख्या 4 प्रदर्श 1 व असल लिखापढ़ी दिनांक 05.06.1995 प्रदर्श 2 को प्रदर्शित करवाया।

5. बहस एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन एवं परिशीलन किया गया। प्रकरण के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष अवधार्य बिन्दु यह है कि :—

(1) क्या वादी मिसल संख्या 4, पट्टा संख्या 4 दिनांक 06.12. 1958 ग्राम मांगलोद की आबादी भूमि के रहवासी प्रयोजनार्थ उपयोग की वादी की एकमात्र अकेले के स्वामित्व के होने की घोषणा करवाये जाने और उस संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा दखल से रोके जाने का अधिकारी है ?

6. वादी की ओर से अपने वादपत्र के तथ्यों के पूर्णतः अनुरूप मुख्य परीक्षा का शपथपत्र पेश किया है। वादी अपने वादपत्र में भूखण्ड को वादी व प्रतिवादीगण के पट्टेशुदा स्वामित्व का बताता है। वादी की ओर से इस संबंध में पट्टा प्रदर्श 1 को प्रदर्शित करवाया गया है। पट्टा प्रदर्श 1 का अवलोकन करें तो यह विल्लेख लिछमणराम पुत्र बालाराम कौम जाट व रामदेव पुत्र लिछमणराम के नाम से जारी किया गया है। वादी अपने वादपत्र में विवादित बाड़े को वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त सम्पत्ति होना बताता है। पट्टे के अवलोकन से पट्टा लिछमणराम व रामदेव के पक्ष में जारी किया जाना प्रतीत होता है। वादी की ओर से जो वादपत्र में अपनी वंशावली पेश की गई है उसमें लिछमणराम के चार लड़के कानाराम, रामकरण, रामदेव, जयराम है। रामकरण के एक पुत्री प्रेमा, एक पुत्र रामनिवास, रामदेव के रामजीवणी पत्नी, बस्तीराम पुत्र, भूराराम पुत्र, मंगेज पुत्री बताया गया है। जयराम के जगदीश व सोहनलाल पुत्र और ईमा, धापू, सीतू, चुका, छोटू पुत्रियां बताई गई है। प्रदर्श 1 पट्टे के अनुसार लिछमणराम का पट्टे के संबंध में आधा हिस्सा

होने का तथ्य दर्शित होता है। लिछमणराम का आधा हिस्सा किस प्रकार वादी के अकेले के स्वामित्व में आया, ऐसे किसी तथ्य को वादी की ओर से दर्शित नहीं किया गया है। वादी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किया गया है जिसके आधार पर वादी द्वारा अंकित वंशावली को सही मानते हुए यह निष्कर्ष निकाला जाये कि ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रदर्श 1 लिछमणराम व रामदेव के हक में जारी किया गया था, उस संबंध में लिछमणराम के हक को वादी द्वारा किस प्रकार प्राप्त किया गया। केवल मात्र साधारण कथन इस संबंध में वादी की ओर से किया गया है।

7. वादी की ओर से सम्पूर्ण बाड़े पर अपना अधिकार अपने पिता के द्वारा किये गये बंटवाड़े 05.06.1995 के आधार पर दर्शित किया गया है। यह इकरारनामा वादी की ओर से प्रदर्श 2 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया है। इस इकरारनामा का अवलोकन करें तो इसमें प्रदर्श 1 पट्टा में उल्लिखित भूमि का उल्लेख करते हुए रामदेव पुत्र लिछमणराम द्वारा पट्टा अपने पिता के नाम से होने और उनके स्वर्गवास के बाद एकमात्र रामदेव के हकदार होने और रामदेव द्वारा वादी बस्तीराम के हक में पट्टे की जमीन बंट में दिये जाने का तथ्य अंकित किया गया है। प्रदर्श 2 इकरारनामा की लिखत से भी यह तथ्य स्पष्ट नहीं है कि लिछमणराम की मृत्यु के पश्चात् प्रदर्श 1 पट्टे में उल्लिखित भूमि के संबंध में लिछमणराम के अन्य पुत्र कानाराम, रामकरण, जयराम का जो हक था वह हक वादी के पिता रामदेव को अकेले किस प्रकार प्राप्त हुआ। प्रदर्श 2 में केवल वादी के पिता रामदेव द्वारा बाड़े को अपना बताया गया है। केवल इस तथ्य के संबंध में कोई स्पष्टता लिखत में नहीं है। इकरारनामा प्रदर्श 2 का अवलोकन करें तो उसमें साख जयनारायण पुत्र भैरूराम कोम बासट की डाली गई है। वादी की ओर से जय नारायण का फर्द के साथ शपथपत्र भी पेश किया है लेकिन वादी की ओर से जयनारायण को साक्षी के रूप में पेश नही किया गया है,इस कारण जयनारायण के नाम से प्रस्तुत शपथ पत्र को वादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के रूप में नही माना जा सकता है। जयनारायण द्वारा लिखत पर अपने हस्ताक्षर साख के तौर पर प्रदर्श 2 में करवाये जाने के संबंध में तथ्य दर्शित किये हैं। इकरारनामा प्रदर्श 2 में जो साख का तथ्य अंकित किया गया है वह अन्य लिखावट से पूर्णतः भिन्न लिखावट और

भिन्न स्याही से किया गया है। प्रदर्श 2 में अंकित साख का तथ्य स्पष्टता के साथ मूल इकरारनामें की लिखत से अलग किया गया प्रतीत होता है, जिससे भी इस दस्तावेज की विश्वसनियता संदिग्ध हो जाती है। इस दस्तावेज में यद्यपि कोई तथ्य स्पष्टता के साथ दर्शित नहीं है कि रामदेव के कब्जे में सम्पूर्ण पट्टासुदा भूमि लिछमणराम की मृत्यु के पश्चात् कैसे आई, लेकिन साख का तथ्य भी संदिग्ध होने से इस तथ्य के आधार पर वादी का विवादित भूमि के संबंध में स्वामित्व का तथ्य साबित नहीं होता है। इस प्रकार वादी की ओर से जो विवादित भूमि अपने स्वामित्व व बंट की बंटवाड़ा के आधार पर बताई गई है वह तथ्य किसी भी प्रकार से साबित नहीं है।

8. वादी की ओर से अपने वादपत्र के पैरा संख्या 6 में वादकारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध पैदा होने के संबंध में कथन किया है। पैरा संख्या 6 का अवलोकन करें तो उसमें वादी की ओर से अंकित किया गया है कि वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के मुतदाविया भूखण्ड का उपयोग उपभोग अकेले वादी द्वारा दिनांक 05.06.1995 से वादी के पिता द्वारा बंटवाड़े में दे दिये जाने से कब्जा उपयोग व पक्का निर्माण होने से प्रतिवादीगण का बंट नहीं होने से यह घोषणा स्वामित्व व स्थायी व्यादेश से रोके जाने हेतु वादकारण पैदा हुआ। वादी द्वारा वादकारण संबंधी तथ्य को पूर्णतः अस्पष्टता के साथ अपने वादपत्र में दर्शित किया है। वादी की ओर से ऐसा कोई तथ्य ही न्यायालय के सामने स्पष्टता के साथ नहीं रखा गया है कि वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध किस प्रकार से वादकारण उत्पन्न हुआ और यह वादकारण कब उत्पन्न हुआ। ऐसे पूर्णतः अनिश्चित तथ्य के आधार पर वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार से वाद कारण पैदा हुआ नहीं माना जा सकता और जब वादी की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादकारण का तथ्य ही दर्शित नहीं किया गया है, वहां वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद लाने का भी किसी प्रकार से कोई अधिकार नहीं रह जाता है।

9. उपरोक्तानुसार जब वादी की ओर से विवादित भूमि के स्वामित्व व अपने बंट के तथ्य को किसी प्रकार से साबित नहीं किया गया है और न ही प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादकारण उत्पन्न होने के तथ्य को साबित किया गया है, वहां वादी अवधार्य बिन्दु को किसी भी प्रकार से साबित

करने में असफल रहा है। लिहाजा वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अस्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>–: आदेश :–</u>

10. परिणामतः वादी बस्तीराम की ओर से पेश वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रेमा वगैरह एतद्द्वारा सम्पूर्ण अनुतोषों सहित अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। नियमानुसार आज्ञप्ति जारी हो।

(कालूराम)
सिविल न्यायाधीश जायल
जिला नागौर

11. निर्णय आज दिनांक 29 अगस्त, 2018 को लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(कालूराम)
सिविल न्यायाधीश जायल
जिला नागौर